न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 17 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 11.01.2016

भेरू पिता डालु जाति जाट उम्र वयस्क निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. शांता पत्नि रतनलाल जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. प्रेमी पत्नि माधु जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. समता पुत्री माधु जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. सुगना पुत्री माधु अवस्यक जरिये संरक्षक माता प्रेमी पत्नि माधु जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 119/2010 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015

उपस्थित–
1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सुरेश चन्द्र शर्मा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 5

निर्णय **दिनांक 06.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात मोजा सुदरी तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 1322 रकबा 0.17 हैक्टेयर जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का 1/2 हक व हिस्सा मानते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 व अपीलान्ट प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये। अपीलान्ट प्रतिवादीगण सम्मन नोटिस की पालना मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए व वादपत्र का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जवाब प्रस्तुत किया। जवाबदावे मे यह तथ्य अंकित किये कि विवादित कृषि आराजीयात शम्भु मोहनी व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी मे थी। बाहमी बंटवाडे से उक्त कृषि आराजीयात बंटवाडे से अपीलान्ट को दी गई एवं इसकी एवज मे शम्भु मोहनी को अन्य कृषि आराजीयात दी गई। शम्भु मोहनी उक्त आराजी नम्बर 1322 को भू-खण्ड बताकर 1500 वर्ग फीट भूमि दिनांक 30.06.2004 को रामलाल को विक्रय कर दी। जिसका प्रकरण सिविल कोर्ट मे विचाराधीन होकर रामलाल पिता देवीलाल व शांतिलाल पिता रामलाल ब्राह्म्ण के पक्ष मे दावा डिक्री हुआ है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया द्वारा अपने पक्ष मे किया गया विक्रय पत्र दिनांक 25.10.2010 अपीलान्ट के हितो के विपरीत है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराये जाने की अधिकारिणी नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने बिना कब्जे के दिनांक 25.10.2010 को शम्भु मोहनी का हक व हिस्सा क्रय किया है परन्तु आज दिनांक रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का विवादित कृषि आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र निरस्त योग्य था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली बिना सूचना दिये लोक अदालत कैम्प कोर्ट सुदरी मे नियत की जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की अनुपस्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने शम्भु व मोहनी का हक व हिस्सा क्रय किया है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से लगायत 4 के अन्य शामलाती खातेदारी की कृषि आराजीयात अवस्थित है जिसका पूर्व मे बाहमी बंटवाडा हो चुका है। बाहमी बंटवाडे के तहत शम्भु व मोहनी अन्य कृषि आराजीयात पर काबिज है। आराजी नम्बर 1322 रकबा 0.17 हैक्टेयर मे से 1/2 हक व हिस्से पर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 काबिज है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की अनुपस्थिति मे लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की व म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई। अन्य रेस्पोडेन्टगण सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, व रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्टगण सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण व अपीलान्ट के विरूद्ध बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता नियुक्त हुए। दिनांक 07.12.2010 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। दावा व जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात नियत की गई। पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार दिनांक 20.09.2013 को तनकियात कायम की गई व पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी विचाराधीन रहते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सुदरी मे बिना सूचना दिये नियत की गई व बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी। राजस्व लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे उभयपक्ष उपस्थित होकर लिखित राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उभयपक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई लिखित राजीनामा नही हुआ न ही उभयपक्षकारान मे किसी प्रकार का लिखित राजीनामा होकर पत्रावली मे प्रस्तुत हुआ है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात जिसके सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादी व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने जरिये पंजीकृत बहनामा शम्भु व मोहनी का 1/2 हक व हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे अपीलान्ट वादिया दर्ज रेकार्ड रही है व उसी अनुसार बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। दावे व जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा तनकियात कायम की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिया नियत की गई। इसी दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत का गठन किया गया व पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे नियत की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बंटवाडे का होना मानते हुए राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र स्वीकार करते हुए बंटवाडे की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधि अनुसार होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने सहखातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण ने वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत किया व जवाबदावे के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये। जवाबदावे मे यह तथ्य अंकित किये गये कि विवादित कृषि आराजीयात मे से विक्रेता शम्भु व मोहनी ने 1500 वर्ग फीट का भू-खण्ड रामलाल व शांतिलाल ब्राह्म्ण को दिनांक 30.06.2004 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से उक्त भू-खण्ड पर क्रेता रामलाल व शांतिलाल ब्राह्म्ण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वादपत्र दिनांक 29.04.2008 को डिक्री हो चुका है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने सम्पूर्ण आराजीयात के सम्बन्ध मे बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने विक्रेता शम्भु व मोहनी से विवादित कृषि आराजीयात मे उनका हक व हिस्सा क्रय कर अपने नाम दर्ज करवाया है। जबकि सहखातेदार शम्भु व मोहनी उक्त आराजीयात मे से 1500 वर्ग फीट भूमि दिनांक 30.06.2004 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था जिससे विक्रेता का कब्जा नही होते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया ने कृषि आराजीयात क्रय की है। उक्त तथ्य जवाबदावे मे अंकित किये गये व उक्त तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम की व पत्रावली को वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सुदरी मे नियत कर बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली मे गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादिया का वादपत्र प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाना पाया जाता है जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की न्याय व्यवस्था आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट–2 पेज 975 मे प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रतिकुल होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 119/2010 रेवेन्यू वाद प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे कायम की गई तनकियात दिनांक 20.09.2013 पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 16.01.2023 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)